संख्या-629 / XIV-2 / 2006

पी0सी0शर्मा,
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1.संयुक्त गन्ना एवं चीनी, आयुक्त
उत्तरांचल काशीपुर ।
2.सहायक गन्ना आयुक्त,
काशीपुर, उधमसिंहनगर।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 13 सितम्बर, 2006

विषयः-अनुदान संख्या-31 में वित्तीय वर्ष 2006-07 के आयोजनागत पक्ष की अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना(T.S.P.) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त गन्ना एव चीनी आयुक्त, उत्तरांचल काशीपुर के पत्र संख्या 516/सा0बजट/2006-07, दिनांक 16.5.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के आयोजनागत पक्ष की जिला योजना में जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) हेतु "अन्तर ग्रामीण सडक निर्माण योजना" के अन्तर्गत कुल रू0 1000 हजार (दस लाख रूपये मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन संलग्नक में उल्लेखित जनपदो को उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार, सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से एवं अधिक व्यय न किया जाय।

3- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि गत वित्तीय वर्ष 2005-06 में इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन का उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण एवं व्यय किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय तभी किया जाये जब सम्बन्धित योजना में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा परिव्यय अनुमोदित करा लिया जाय ।

5- स्वीकृत धनराशि केवल चालू एवं पूर्व अनुमादित कार्यो/मदो पर ही व्यय की जाय तथा किसी ऐसे कार्य/मद पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नही है।

6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग यदि अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनसे अनाधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं योजनाओ की सीमा तक ही किया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम/ग्रामों को जोड़ने वाली सड़को के निर्माण में ही किया जाये।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्थिति की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय।

10— स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बी0एम0—13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/अपर सचिव (गन्ना विकास) उत्तरांचल शासन तथा महालेखाकार उत्तरांचल को भिजवाना सुनिश्चित करें।

11— स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्यों/मद पर व्यय न की जाय, जो की वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी प्रतिबन्धित हो अथवा शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न ली गयी हो, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लेखित सुसंगत नियमो का अनुपालन किया जाये।

12— उक्त व्यय वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2006—07 के आय व्यय अनुदान संख्या—31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजाति उपयोजना—91—जिलायोजना—9102—अंशदायी आधार पर अन्तरग्रामीण सडक निर्माण योजना, 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामें डाला जायेगा।

13— यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या—509/वित्त अनु0—4, दिनांक 11.9.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न—यथोपरिं।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या—629 (1)/XIV—2/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल देहरादून।
2— जिलाधिकारी नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिहंनगर।
3— कोषाधिकारी नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिहंनगर।
4— गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराचंल काशीपुर।
5— वित्त अनुभाग—4 उत्तराचंल शासन देहरादून।
6— बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय उत्तराचंल शासन देहरादून।
7— नियोजन विभाग उत्तराचंल शासन देहरादून।
8— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
9— निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराचंल शासन देहरादून।
10—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा) 13/9/06
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या– 629 /2006/XIV–2/2006 दिनांक 13 अगस्त, 2006 का संलग्नक

अनुदान संख्या–31

2401–फसल कृषि कर्म

796–जनजाति उपयोजना

9102–अंशदायी आधार पर अन्तरग्रामीण सडक निर्माण योजना,

20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

(धनराशि हजार रूपये)

क. स.	कार्यक्रम	उधमसिहं नगर	नैनीताल	हरिद्वार	देहरादून	योग
1	अंशदायी आधार पर अन्तार ग्रामीण सडक निर्माण योजना	1000	--	—	—	1000
	योग--	1000	--	—	--	1000

(दस लाख रूपये मात्र)

(विनोद शर्मा) 13/9/06

अपर सचिव।